तेजिंदर सिंह ढिंढसा जे**. के सम** क्ष

कार्तिक देवी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादीगण

2019 का सी. डब्ल्यू. पी. No.21385

27 अगस्त, 2019

भारत का संविधान**, 1950**-अनुच्छेद **226** और **227**-मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट**, 1971**-धारा **3** । **12** साल की बच्ची के साथ बलात्कार और गर्भाधान-मेडिकल कमेटी ने मेडिकल टर्मिनेशन के खिलाफ राय दी-**20** सप्ताह से अधिक का भ्रूण-इस अदालत ने पीजीआई को नाबालिग-पीजीआई की राय-नाबालिग की मनोवैज्ञानिक पीड़ा**,** मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट**,** कोमल शारीरिक कद-मेडिकल टर्मिनेशन की सिफारिश करने का निर्देश दिया।

अभिनिर्धारित किया कि, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता का मामला धारा 3 (2) (बी) (ii) के तहत आएगा, लेकिन 20 सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिबंध। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में गठित स्थायी चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्पष्ट राय दी गई है कि विस्तृत मनोरोग मूल्यांकन पर, यह पाया गया है कि रोगी गर्भावस्था के कारण चल रहे तनाव के कारण मनोवैज्ञानिक संकट में है।यह भी राय दी गई है कि गर्भावस्था की वर्तमान स्थिति और गर्भावस्था के आगे जारी रहने के कारण इस तरह के चल रहे मानसिक संकट की अक्षमता जिसके परिणामस्वरूप उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगती है और गर्भावस्था जारी रहती है जिसके परिणामस्वरूप उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगती है, से इनकार नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार और स्त्री रोग संबंधी मूल्यांकन पर इस तरह के गर्भधारण केवल सिजेरियन सेक्शन द्वारा किए जा सकते हैं क्योंकि बच्चे की कम उम्र के कारण उसका शारीरिक कद सामान्य योनि प्रसव मापदंड के अनुरूप नहीं है।

।यह भी माना गया है कि इस तरह के शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप अपने आप में उसके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेंगे और इसके दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक के साथ-साथ शारीरिक परिणाम भी हो सकते हैं।

(पैरा 10)

ने आगे अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता संख्या 3 को गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार करना मुश्किल होगा।इस न्यायालय के लिए स्थायी चिकित्सा बोर्ड जिसके गठन को निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया था, द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का कोई आधार नहीं होगा ।

(पैरा 12)

दीपेंद्र सिंह, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

सिद्धार्थ सांवरिया, डीएजी, हरियाणा।

अनिल कुमार शर्मा,

प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता।

तेजिंदर सिंह धिंदसा**, जे. (**मौखिक**)**

(1) याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 याचिकाकर्ता संख्या 3 (नाम रोक दिया गया) के माता-पिता हैं।

(2) याचिकाकर्ता संख्या 3 के 19.07.2019 पर दर्ज बयान पर, महिला पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 452/506/34 के तहत 19.07.2019 दिनांकित प्राथमिकी संख्या 97 दर्ज की गई थी। यहाँ शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता संख्या 3 का संस्करण यह था कि उसकी आयु 12 वर्ष और 9 महीने की थी और उसकी माँ होली के त्योहार के करीब गाँव गई थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और रात की ड्यूटी करते थे।

ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए, शिकायतकर्ता का दो अभियुक्तों, जिनके नाम रजनीति और अर्जुन हैं द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसे घटना के बारे में खुलासा नहीं करने की धमकी दी गई थी और उसके अंदर इस तरह के डर के कारण उसने घटना के बारे में खुलासा नहीं किया। इसके बाद जुलाई, 2019 के महीने में ही उसे उल्टी होने लगी और उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और जाँच से पता चला कि वह गर्भवती हो चुकी थी ।

(3) अभाग्य माता-पिता के साथ-साथ नाबालिग के हाथों में भी तत्काल रिट याचिका है, जिसमें उसकी गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के लिए निर्देश जारी करने के लिए अनिवार्य रिट जारी करने की मांग की गई है।

(4) अभिलेख पर दलीलों से संकेत मिलता है कि यह मामला बाल कल्याण समिति द्वारा उठाया गया था और एक विचार बनाया गया था कि एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाए ताकि पीड़ित को उचित उपचार और आगे की कार्रवाई की जा सके।अनुलग्नक पी-4 में एक चिकित्सा समिति की दिनांकित 01.08.2019 की रिपोर्ट दर्ज की गई है और जो केवल यह बताती है कि 30.07.2019 पर एक अल्ट्रासाउंड परीक्षण किया गया है और जो 20 सप्ताह, 1 दिन + 2 सप्ताह का एक जीवित भ्रूण दिखाता है।राय दी गई है कि चिकित्सा समाप्ति और गर्भावस्था अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार, गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

(5) इतनी संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में ही तत्काल रिट याचिका दायर की गई है।

(6) यह ध्यान दिया जा सकता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त एक संदेश के अनुसरण में, तृतीयक स्तर के सरकारी चिकित्सा संस्थानों को 20 सप्ताह से अधिक की अवधि में गर्भपात के मामलों की जांच करने के लिए स्थायी चिकित्सा बोर्ड स्थापित करने के लिए कहा गया था।एक स्थायी चिकित्सा बोर्ड पहले से ही निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ द्वारा अनुमोदित है और इसका गठन किया गया है।

(7) तत्काल रिट याचिका प्रारंभिक सुनवाई के लिए

इस न्यायालय के समक्ष 09.08.2019 को आई और प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था। परिणामस्वरूप 19.08.2019 को इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 3 के लिए पी. जी. आई. एम. ई. आर., चंडीगढ़ के तहत स्थायी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच करने का निर्देश जारी किया गया था।

(8) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता की स्थायी चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत जांच की गई है और प्रतिवादी No.4/PGIMER, चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट इस प्रकार हैः

"विषय:**2019** का सी**.** डब्ल्यू**.** पी**. No.21385** जिसका शीर्षक कार्तिक देवी

बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में माननीय उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ की अदालत ने **12** वर्ष की आयु की रोगी याचिकाकर्ता संख्या **3** बलात्कार पीड़िता के संबंध में।

CR.No.201905052918.

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से दिनांक 19.08.2019 प्राप्त निर्देशों के संदर्भ में याचिकाकर्ता संख्या 3 का पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में स्थायी चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिनांक 20/08/2019 पर चिकित्सकीय मूल्यांकन किया गया था।टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैंः

1. 20/08/2019 पर किए गए अल्ट्रासाउंड के अनुसार एकल जीवन स्वास्थ्य अंतर्गर्भाशयी भ्रूण के साथ गर्भावस्था की अवधि 22+5 सप्ताह है।कोई सकल जन्मजात विसंगति नहीं देखी गई।

2. रोगी का विस्तृत मनोचिकित्सा मूल्यांकन गर्भावस्था के कारण चल रहे तनाव के कारण मनोवैज्ञानिक संकट का संकेत देता है।

3. उसकी गर्भावस्था की वर्तमान स्थिति और गर्भावस्था के आगे जारी रहने के कारण इस तरह के चल रहे मानसिक संकट की संभावना जिसके परिणामस्वरूप उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगी है

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

4. स्त्री रोग संबंधी मूल्यांकन के अनुसार, इस तरह की गर्भधारण केवल सिजेरियन सेक्शन द्वारा अवधि के प्रसव पर किया जा सकता है क्योंकि बच्चे का शारीरिक कद सामान्य योनि प्रसव मानकों के अनुरूप नहीं है।इस तरह के शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप अपने आप में उसके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है और इसके दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक और साथ ही शारीरिक परिणाम हो सकते हैं।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्थायी चिकित्सा बोर्ड इस स्तर पर गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की सिफारिश करता है।

एसडी/-

एसडी/-

एसडी/-

प्रो.वाई. एस. बंसल

डॉ. तुलिका सिंह

प्रो.भवनीत भारती

(सदस्य)

(सदस्य)

(सदस्य)

एसडी/-

एसडी/-

एसडी/-

डॉ. मनोज गोयल

डॉ. हिमांशु गुप्ता

डॉ. रुचिता शाह

(सदस्य)

(सदस्य)

(सदस्य)

एसडी/-

एसडी/-

एसडी/-

डॉ. सहजल धुरिया

प्रो.नंदिता कक्कड़

डॉ. अनुप्रिया कौर

(सदस्य)

(सदस्य)

(सदस्य)

एसडी/-

एसडी/-

एसडी/-

डॉ. रंजना सिंह

प्रो.रश्मि बग्गा

(संयोजक) "

(अध्यक्ष)

(9) चिकित्सा समाप्ति और गर्भावस्था अधिनियम, 1971 की धारा 3 इस प्रकार है:

"3. जब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है।

- कार्तिक देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य (तेजिंदर सिंह ढिंढसा, जे.) 515

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी उस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, अगर उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है।

(2) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, -

(क) जहाँ गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसा चिकित्सक है, या

(ख) जहाँ गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक है लेकिन बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सक, राय में, सद्भावना से गठित हैं, तो -

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी; या

((ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ था, तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा जो गंभीर रूप से विकलांग हो।स्पष्टीकरण 1.- जहाँ गर्भवती महिला द्वारा बलात्कार के कारण कोई गर्भावस्था होने का आरोप लगाया जाता है, वहाँ ऐसी गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जाएगा।स्पष्टीकरण 2.-जहां कोई भी गर्भावस्था किसी भी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप होती है, ऐसी अवांछित गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को उस गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट है, माना जा सकता है।

(3) यह निर्धारित करने में कि क्या गर्भावस्था के जारी रहने से स्वास्थ्य को नुकसान होने का ऐसा जोखिम होगा जैसा कि उप-धारा (2) में उल्लेख किया गया है, गर्भवती महिला के वास्तविक या उचित पूर्वानुमेय वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है।

(4) (क) किसी महिला की गर्भावस्था, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, या जो अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 4 [मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति] है, को उसके अभिभावक की लिखित सहमति के अलावा समाप्त नहीं किया जाएगा।

(ख) खंड (क) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, गर्भवती महिला की सहमति के अलावा किसी भी गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा।"

(10) इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता का मामला धारा 3 (2) (बी) (ii) के तहत आएगा, लेकिन 20 सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिबंध होगा। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में गठित स्थायी चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्पष्ट राय दी गई है कि विस्तृत मनोरोग मूल्यांकन पर, यह पाया गया है कि रोगी गर्भावस्था के कारण चल रहे तनाव के कारण मनोवैज्ञानिक संकट में है।यह भी राय दी गई है कि गर्भावस्था की वर्तमान स्थिति और गर्भावस्था के आगे जारी रहने के परिणामस्वरूप उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगने के कारण इस तरह के चल रहे मानसिक संकट की अक्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार और स्त्री रोग संबंधी मूल्यांकन पर इस तरह के गर्भधारण केवल सिजेरियन सेक्शन द्वारा किए जा सकते हैं क्योंकि बच्चे की कम उम्र के कारण उसका शारीरिक कद सामान्य योनि प्रसव मानकों के अनुरूप नहीं है।यह भी राय दी गई है कि इस तरह के शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप अपने आप में उनके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेंगे

और इसके दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक और साथ ही शारीरिक परिणाम हो सकते हैं।

(11) प्रोफ़ेसर डॉ. रश्मि बग्गा, जो प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की प्रमुख हैं, की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई वर्गीकृत सिफारिश इस स्तर पर गर्भावस्था के मेडिकल गर्भपात के लिए है।

(12) वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता संख्या 3 को गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार करना मुश्किल होगा।इस न्यायालय के लिए स्थायी चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का कोई आधार नहीं होगा और जिसके गठन को निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(13) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, रिट याचिका की अनुमति है।

(14) निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ से अनुरोध है कि वे याचिकाकर्ता संख्या 3 की गर्भावस्था को विभाग (प्रसूति और स्त्री रोग), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के प्रमुख की देखरेख में समाप्त कराएं।

(15) यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं नाबालिग/याचिकाकर्ता संख्या 3 को दी जाएं।

(16) यह भी निर्देश दिया जाता है कि ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च/चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति हरियाणा राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संस्थान को की जाएगी।

(17) इस आदेश की एक प्रति आवश्यक और तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीठ सचिव के हस्ताक्षर के तहत पक्षों के वकील को प्रस्तुत की जाए।

(18) खारिज कर दिया गया।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण – सथानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है! सभी व्यावहारिक एंड अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा!

Suman